प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम : माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री डी. आर. देशमुख, न्यायाधीश

रिट याचिका क्र. 2241/2006

याचिकाकर्ता :

1. देवकी खत्री, आयु लगभग 36 वर्ष, पति श्री सुरेश खत्री, निवासी–वार्ड क्र. 5, वीर सावरकर वार्ड (गांधी नगर), अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ०ग०)
2. क्रिस्टीना टोप्पो, आयु लगभग 45 वर्ष, पति श्री बालदेव टोप्पो, निवासी–वार्ड क्र. 21, बाल गंगाधर तिलक, धोबीपारा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा(छ०ग०)
3. र्मिला दास, आयु लगभग 30 वर्ष, पति श्री नारायण दास, निवासी–रैदास वार्ड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा(छ०ग०)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, महिला और बाल विकास विभाग, डी. के. एस. भवन, रायपुर (छ०ग०)
2) कलेक्टर, जिला सरगुजा, अंबिकापुर(छ०ग०)।
3) आयुक्त, नगर निगम, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ०ग०)
4) जिला महिला और बाल विकास, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा(छ०ग०)।
5) जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला और बाल विकास अधिकारी, अंबिकापुर, जिला सरगुजा(छ०ग०)।
6) भारत संघ, द्वारा सचिव, महिला एवं बाल

कल्याण, नई दिल्ली।

उपस्थिति:	:	याचिकाकर्तागण के लिए श्रीमती हमीदा सिद्दीकी, अधिवक्ता।
	:	राज्य/उत्तरवादीगण के लिए श्री प्रशांत मिश्रा, उप महाधिवक्ता सहित श्री उत्कर्ष वर्मा, शासकीय उप अधिवक्ता

मौखिक आदेश

(दिनांक 3 मई, 2006 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित मौखिक आदेश **श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश** द्वारा पारित किया गया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित विशेष पोषण आहार वितरण केंद्र में "विशेष पोषण आहार वितरण योजना" (संक्षेप में "योजना") नामक योजना के तहत संघठिका/सहायिका के रूप में कार्यरत हैं। यह योजना महिला और बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विकसित की गई है। यह कथन किया गया है कि याचिकाकर्ता एक दशक से अधिक समय से संघठिका/सहायिका के रूप में कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने उक्त योजना को बंद करने का निर्णय लिया है। यह कथन किया गया है कि योजना के तहत काम करने वाली संगठिका/सहायिका की सहायता के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव ने दिनांक 10-04-2006 को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें नए नियमों के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायक के रूप में नियुक्ति के मामले में योजना के तहत काम कर रही संगठिका/सहायिका को प्राथमिकता देने के निर्देश/दिशानिर्देश दिए गए हैं। यह रिट याचिका कुछ संघठिकाओं/सहायिकाओं द्वारा दायर की गई है, जिसमें

शिकायत की गई है कि शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए किसी संघठिका/सहायिका को मैट्रिक पास होना आवश्यक है और यह प्रावधान मनमाना, अनुचित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह भी शिकायत की गई है कि शासन ने योजना के तहत काम कर रही संघठिकाओं/सहायिकाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायक के पद पर नियुक्ति के मामले में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है, इसलिए उसे यह शर्त अधिरोपित नहीं करनी चाहिए थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायक के पद के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी का मैट्रिक पास होना आवश्यक है।

(2) याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारा यह सुविचारित अभिमत है कि ऐसा कोई आधार नहीं है जो हमें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप करने और विभाग द्वारा विहित योग्यता में दखल देने के लिए प्रेरित कर सके कि शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायक के पद के लिए उम्मीदवार मैट्रिक पास होना चाहिए। सबसे पहले, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विभाग की सचिव द्वारा जारी परिपत्र के अलावा, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायक के पद पर नियुक्ति के मामले में वरीयता का प्रावधान है, याचिकाकर्ताओं और इसी तरह की परिस्थितियों वाले अन्य लोग जो इस योजना के तहत संघठिका/सहायिका के रूप में काम कर रहे हैं, नियुक्ति के मामले में वरीयता का दावा भी नहीं कर सकते थे। यह बात भी शुरू में ही ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ताओं और इसी तरह की परिस्थितियों वाले अन्य संघथिकाओं/सहायिकाओं की नियुक्ति उस समय हुई थी जब योजना प्रचलन में थी और उनकी नियुक्ति योजना की अवधि तक ही थी। चूंकि योजना को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं और इसी तरह की परिस्थितियों में अन्य लोगों के पास इस बात पर जोर देने का कोई मौजूदा प्रवर्तनीय अधिकार नहीं है कि सरकार को इस तरह से नियम बनाने चाहिए ताकि योजना के तहत काम करने वाले सभी संघठिकों/सहायकों को शामिल किया जा सके। तीसरा, यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पद के लिए योग्यता निर्धारित करना पूर्णतया कार्यपालिका/नियुक्ति प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह न्यायालय का काम नहीं है कि वह योग्यता निर्धारित करे, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अनेक निर्णयों में निर्धारित किया गया है। राज्य नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यताओं की न्यायिक समीक्षा का सीमित दायरा यह देखना है कि क्या कोई विशेष योग्यता इतनी बेतुकी या तर्कहीन है कि वह अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों के दायरे से बाहर हो। शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायक के पद के लिए किसी अभ्यर्थी के अर्हता प्राप्त करने हेतु निर्धारित योग्यता को किसी भी तर्कसंगत परीक्षण के आधार पर उस उद्देश्य से पूरी तरह अप्रासंगिक नहीं माना जा सकता है। हम याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता से भी सहमत नहीं हैं कि नए नियम केवल शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों के पद पर लागू होते हैं। यदि ऐसा है, जैसा कि अनुलग्नक पी–1 की अनुदित प्रति से देखा जा सकता है, जिसे सुनवाई के समय हमारे समक्ष रखा गया था, तो नियम स्वयं मैट्रिक पास और गैर–मैट्रिक पास दोनों की नियुक्ति का प्रावधान करते हैं। नियम ने मैट्रिक और गैर–मैट्रिक के लिए मानदेय के रूप में अलग–अलग वेतन विहित किया है। सबसे बढ़कर, यदि विद्वान अधिवक्ता का उपरोक्त तर्क सत्य है, तो अनुलग्नक पी–1 में यह निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मैट्रिक पास होना अनिवार्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव द्वारा जारी परिपत्र और नए नियमों के सार से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि योजना के अंतर्गत संगठिका/सहायिका के रूप में कार्यरत सभी व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई है, फिर भी उन्हें नए नियमों के तहत निर्धारित योग्यताओं के अनुसार स्वयं को अर्ह साबित करना होगा। केवल वे संघठिकाएं/सहायिकाएँ जो अनुलग्नक पी–1 में निहित नियमों के नए समूह के तहत निर्धारित योग्यताएँ रखती हैं, वे ही परिपत्र के अनुसार वरीयता का दावा कर सकती हैं, अन्यथा नहीं।

(3) परिणामस्वरूप, हमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है। इसलिए रिट याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, यह आदेश सरकार को याचिकाकर्ताओं और इसी तरह की

परिस्थितियों वाले अन्य लोगों द्वारा राज्य सेवा में उनके समायोजन के लिए किए गए अभ्यावेदनों पर विचार करने से नहीं रोकेगा, जो कि संबंधित अधिकारियों के समक्ष लंबित बताए जा रहे हैं।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
दिलीप रावसाहब देशमुख
न्यायाधीश

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur